





- (h) विज्ञापन की कड़िका— 3 के अनुसार प्रत्यात फर्म या सरकारी विभाग में व्यावहारिक अनुभव का प्रमाण—पत्र;
- (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण—पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण—पत्र एवं अत्यन्त पिछ़ा वर्ग/पिछ़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीपीलेयर रहित प्रमाण—पत्र की रवाभिप्रमाणित प्रति;
- (j) दिव्यांगता का दावा करने की रिथ्ति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण—पत्र की रवाभिप्रमाणित प्रति;
- (k) बैंक में जगा चालान की मूल BPSC प्रति/ऑनलाइन भुगतान से सबधित डाउनलोड बैंक रसीद की प्रति;
- (l) आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण—पत्रों की स्वाभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण—पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनक संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
- (m) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण—पत्रों की सूची में अकित प्रत्येक प्रमाण—पत्रों के सामने प्रमाण—पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अकित करेंगे।
- (ii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण—पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश—पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा तथा उन्हें साक्षात्कार में समिलित नहीं किया जाएगा।
- (iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि चालान पर अकित Registration Number एवं हार्ड कॉपी पर अकित Registration Number एक ही (same) है।
- (iv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, चालान की प्रति/बैंक रसीद एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
11. योग्यता संबंधी प्रमाण—पत्र वही मात्र होगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन—पत्र में किया है। योग्यता से सबधित प्रमाण—पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।
12. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण—पत्र, अंक—पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थीयों की अहंता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग रवतंत्र रहेगा।
13. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण—पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
14. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्सी (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।
15. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
16. उपर्युक्त विज्ञापन से सबधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकारा नहीं किये जायेंगे। साथ ही, आर्ण, अस्पष्ट, अहसतालिखित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
17. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। मनिथ में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मात्र नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

संयुक्त सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

मुद्रित